OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

128

No. L.A. Sur./2956

Dated:- 11.01.11

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No. **692/10-11** on the accounts of **Nagar Panchayat, Chanpatia** for the period **2007-08** to **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Encl:- As above

Yours Sincerely

(Pankaj Kumar Choudhary)
Sr. Audit Officer/Surcharge

Nagar Panchayat , Chanpatia

AR. No. 692/10-11

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, चनपटिया (पश्चिम चंपारण) के वर्ष 2007–08 से 2009 –10 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) विहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा शखा के लेखा परीक्षा द्धारा दिनांक 15.9.10 से 30.9.10 की अवधि में की गई ।

2. प्रशासन

अध्यक्ष	
श्रीमति किरण देवी	1.4.07 से 14.6.07
श्रीमति किरण देवी	15.6.07 से 31.3.10
उपाध्यक्ष	
श्री शारदा नन्द प्रसाद केशरी	1.4.07 से 14.6.07
श्री मनोज कुमार	15.6.07 से 31.3.10
कार्यपालक पदाधिकारी	
श्री नरेन्द्र सिंह	1.4.07 से 14.4.07
श्री विजय कुमार पाण्डेय	14.4.07 से 31.3.10

3. लेखा परीक्षा का कार्य होग

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूचि प्रतिवेदन के परिशिष्ट –1 मे तथा अनुपलब्ध / असंधारित अभिलेखों की सूचि परिक्षिष्ट 11 में दी गई है

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओ की अघतन स्थिति निम्नवत हैः–

126

क0 सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अवधि	लंबित कंडिकाओं की सं0
1.	226/1978-79	1972-73 से 1976-77	13
2.	369/1979-80	1977-78 से 1978-79	13
3.	90/1981-82	1979-80	8
4.	322/1982-83	1980-1981से 1981-1982	12
5.	56/1984-85	1983-84	3
6.	80/1988-89	1984-85 से 1987-88	16
7.	126/1990-91	1988-89	3
8.	91/1995-96	1989-90 से 1994-95	34
9.	46/2001-02	1995-96 से 2000-01	41
10.	24/08-09	2001-02 से 2006-07	43
			186

उपर वर्णित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक प्रधान महालेखाकर कार्यालय को अप्रात्प है । इस संबंध में कई बार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा द्धारा स्पार पत्र थी निर्गत किया जा चुका है। अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में नगर पंचायत कार्यालय द्धारा लगाातार उदासीनता बरती जा रही है. फलस्वरूप लंबित कंडिकाओं की सं0 में उतरोतर वृद्धि होती जा रही है, साथ ही साथ अंकेक्षण का जो मूल उदेश्य है, वह भी पूरा नही हो पा रहा है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि लंबित कंडिकाओं मे अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उढाए जाएँ ताकि कंडिकाओ का निस्पादन होने के साथ ही अंकेक्षण का उद्धेश्य पूरा हो सके ।

5. <u>वित</u>

नगर पंचायत विभिन्न अनुदानों, यथा वेतन अनुदान, 12 वाँ वित आयोग, चापाकल, कबीर अंत्येष्टि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना आदि से वित पोषित था एवं इन्ही मदों पर व्यय भी किया

गया था, रोकड़ वही में आय एवं व्यय का वर्गीकरण नही किया गया था इसलिए मदवार आय एवं व्यय का आकलन करना कठीन था, परंतु अभिश्रवों से रोकड़ वही में आय एवं व्यय का वर्गीकरण अंकेक्षण दल द्धारा यथा संभव किया गया, तथा वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की वित की स्थिति निकाली गयी जिसका सारांश निम्न प्रकार से था।

क0 स0	मद	2007-08	2008-09	2009-10
1.	आंलिक शेष	57,88,399.87	57,23,570.75	1,21,91,812.25
2.	प्राप्तियों	3352130.15	1,05,81,442.90	1,38,65,934.30
3.	कुल	91,40,530.02	1,63,05,013.65	2,60,57,746.55
4.	व्यय	34,16,959.27	41,13,201.40	1,10,95667.75
5.	अंतिम शेष	57,23,570.75	1,21,91,812.25	1,49,62,078.80

आय- व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट सं0-III में दिया गया है, आय एवं व्यय का वर्गीकरण भविस्य में करने की सलाह दी जाती है तथा संलग्न परिशिष्ट के मुताबिक वार्षिक लेखा तैयार करने की भी सलाह दी जाती है ताकि एक नगर में मदवार आय तथा व्यय स्पष्ट रूप से देखा जा सकें।

6. अंतिम अवशेष

रोकड़ वही में संधारित किए गए सात बैंक खातों के अनुसार अंतिम अवशेष की स्थिति (31.3.10) निम्नवत् थीः-

(क)	रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.10 को अंतिम अवशेष	1,49,6,20,78.00
(ख)	विभिन्न बैंक खातों में अंतिम अवशेष	
(I)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चनपरिया खाता सं0-15148	3,96,836.00
(II)	चंपारण क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक, चनपरिया खाता सं0-4466	1,39030.00
(III)	स्टेट बैंक इंडिया, टिकुलिया खाता सं0-11874592829	40,14,704.00
(IV)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टिकुलिया खाता सं0-30695393483	15,44,093.00
(V)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चनपरिया खाता सं0-11549968920	35212.00
(VI)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,चनपरिय खाता	60940.00

(124)

	सं0-11549968919	
(VIII)	ट्रेज़री पासबुक	8800768.89
	कुल-	1,49,85,583.89

बैकं खातों एवं रोकड़ वही के अंतिम अवशेषों में अंतर (ख)-(क)-23505.09इस अंतर का समाधान विवरण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(7) 1. <u>होलडिग मेद में 968 रू0 कम जमा</u>

होलडिंग सेस की वसूली बही, की जाँच में पाया गया कि वसूली पंजी तथा रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि वसूली के 968 रू0 श्री कन्हैया मिश्र टैक्स दारोगा द्धारा कम जमा किया गया है। पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है

अ	रसीद	रकम	जमा रकम	कम/अधिक जमा	अभ्युति
	4386 दि0 11.3.10	250/-	-	-	दैनिक वसूली पंजी में प्रविष्टि नहीं
	4387 दि011.3.10	15/-	-	-	
	4388 दि011.3.10	15/-	-	-	
	4389 दि011.3.10	310/-	-	-	
	4390 दि011.3.10	10/-	-	-	
ब	359 दि010.3.08	32/-	शून्य	32/-	
	378 दि0 31.3.08	16/-	8/-	8/-	
	1075 दि012.5.08	32/-	24/-	8/-	
	1080 दि0 12.5.08	32/-	24/-	8/-	
	1521 दि05.6.08	32/-	16/-	16/-	
	1543 दि0 9.6.08	120/-	60/-	60/-	अधिक जामा
	1566 दि0 12.6.08	30/-	60/-	30/-	
	1569 दि012.6.08	64/-	32/-	32/-	
	1875 दि0 30.6.08	60/-	48/-	12/-	
	1896 दि08.7.08	120/-	60/-	60/-	
	2010 दि017.7.08	80/-	40/-	40/-	
	2048 दि02.8.08	96/	48/-	48/-	
	2054 दि05.8.08	96/	48/-	48/-	
	2333 दि024.12.08	24/	18/-	6/-	
	2337 दि024.12.08	6/	12/-	6/-	अधिक
	2349 दि024.12.08	24/	18/-	6/-	
				404	
				-36/	
				368/-	
				+(अ)600/-	
				कुल968/-	

उपरोक्त वसूली की कम जमा रकम

संबंधित व्यक्ति द्धारा दिनांक 29.9.10 को SBI Challan के माध्यम से खाता सं0 30695393483 में जमा करा दी गयी।

2:- <u>40,056/- रू0 बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं</u>

बिहार सरकार नगर विभाग के ज्ञापांक 938 दिंनाक 25.2.10 में निहित प्रावधान के अनुसार बकाये होलडिगं टैक्स पज 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क की वसूली करनी है । यह व्यवस्था बिहार सरकार के ज्ञापांक 353 दिंनाक 27.8.09 के अनुसार 20 सितम्बर 2009 से पूरे राज्य में लागू है। नगर पंचायत चनपटिया में वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ में होलडिग टैक्स 3,33,816/- रू0 वसूली हेतु लम्बित था जिसपर विलम्ब शुल्क के मद में 40,056-/ रू0 वसूलीनीय था। विलम्ब शुल्क की वसूली हेतु कारगर प्रयास किया गया नहीं जाना पड़ता है । इस विलम्ब शुल्क की राशि यथाशीध वसूल कर कृपया अंकेक्षण को सूचित किया जाय।

8. <u>योजना पंजी के संधारण में त्रुटियाँ</u>

नगर पंचायत, चनपरिया के योजना पंजी की जाँच में यह पाया गया कि इनकें संधारण कई त्रुटियाँ थी, जो निन्नानुसार है।

(1) एक ही योजना पंजी में सभी पदों से संबंधित योजनाओं का विवरण दर्ज किया गया था।

(2) योजना पंजी अपुर्ण था। इसमें कुछ योजनाओं का विवरण दर्ज नही किया गया था,

(3) कौन सी योजना किस मद की है यह भी दर्ज नही था।

उपरोक्त त्रुटियों का विवरण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

9. <u>रोकड़ वही के संधारण में त्रुटियाँ</u>

नगर पंचायत चनपटिया के रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि इनके संधारण में कई प्रकार की त्रृटियाँ थी जो निम्नानुसार है।

(1) विभिन्न जगहों पर प्राप्तियों एवं भुगतान का मदकार शीर्षवार विवरण नहीं दशाया गया था।

(2) विभिन्न योजनाओ में भुगतान तो दिखाया गया था, परंतु योजना सख्या तथा योजना किस मद की है, दर्ज नही किया गया था।

(3) कई जगह कार्य तथा अन्य मदों में दिए गए अग्रिम का अग्रिम न दिखाकर भुगतान के रूप में दर्ज किया गया था।

(4) कई जगह भुगतान संबंधी चेक का विवरण दर्ज नही था उपरोक्त त्रुटियों का विवरण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय

10. <u>बस पार्किंग की बन्दाबस्ती की बकाया राशिः रू0 1.03 लाख</u>

नगर पंचाचत, चनपरिया मे वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के बस पार्किंग की डाक से संबंधित संचिका की विस्तृत जाँच की गयी। जाँच में कई तरह की अनियमित- ताएँ सामने आई। विवरण निम्नवत हैः-

(1) वितीय वर्ष 2008-09 में बस पाकिग फीस की वसूली हेतु दिनांक 4.4.08 को ओयोजित डाक में सुमन कुमार सिंह पिता- दिनेश्वर सिंह द्धारा उच्चतम बोली 1,55,000 रू0 लगायी गयी, इसी आधार पर सुमन कुमार सिंह को उस वर्ष का डाक दे दिया, संचिका में वर्णित नियम के अनुसार डाक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्धारा डाक प्राप्ति के दिन ही डाक की समस्त राशि जमा करानी थी। परंतु सुमन कुमार सिंह द्धारा डाक की कुल राशि 1,55,000 रू0 जमा करने के बजाय मात्र 52000 रू0 जमा कराया गया, शेष 1,03,000 रू0 अंकेक्षण की तिथी तक बकाया थी।

(2) संचिका की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2008-09 से पूर्व जब थी डाक किसी के नाम पर किया जाता था तब बन्दोबस्तीदार द्धारा डाक प्राप्ति के दिन डाक की कुल राशि की आधी राशि जमा करा दी जाती थी, यद्यपि ऐसा करना भी नियम विरूद्ध है, परंतु सुमन कुमार सिंह के मामले में तो आधी राशि भी जमा नही करायी गयी थी, नियमानुसार पुरी राशि जमा कराने के बाद ही संवेदक के साथ एकरारनामा किया जाना था,परन्तु पूरी राशि किए बिना ही एकरारनामा कर लिया गया था।

(3) संचिका तथा रोकड़ बही की जाँच में यह पाया गया कि बाकाय राशि की वसूली हेतु सुमन कुमार सिंह पर निलामवार (बाद सं0344/09-10) रायर करनें मे 8500रू0 का व्यय दिनांक5.12.09 दर्ज किया गया था। यद्यपि निलामवाद दायर करने संबेधी कोई प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था। बाद सं0 की सूचना मौखिक रूप से ही अंकेक्षण को दी गयी, निलामवार दायर करने में व्यय किए गए 8500 रू के संबंध में अंकेक्षण का

मत है कि यह ऐसा व्यय है जिससे बचा जा सकता था। अगर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्धारा नियमानुसार डाक की पूरी राशि उसी दिन वसूल कर ली जाती तो निलामवाद दायर करने की स्थिती उत्पन्न नहीं होती। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी की उदासीनता के कारण नगर पंचाचत को रू0 1,03,000.00 की हानी हुई। अतः इस हानी की वसुली सक्षम/ जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय तथा एसे नगर पंचायत निधि मे जमा की जाय।

11.<u>गृहकर स्वास्थ्य तथा शिक्षा अधिकार मद में बकायाः– रू0 23 लाख</u>

नगर पंचायत, चनपरिया कार्यालय द्धारा उपलब्ध कराये गए आँकडों के अनुसार, नगर पंचावत अंतर्गत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर दिनांक 31.3.10 तक गृहकर स्वास्थ्य तथा शिक्षा अधिकार मद में कुल 869759.00 (433558+2178134+218388) बकाया थी, (विस्तृत विवरणी संलगन) विस्तृत विवरण परिशिष्ट IV से VII तक स्पष्ट है कि एक बड़ी राशि विभिन्न भवन याचिकों मे यहाँ बकाया थी, जिसकी वसूली लंबे समय से नही हो पायी थी, इस राशि की वसूली नही हो पाने के कारण नगर पंचायत को इस राशि पर प्राप्त होने वाले सूद से तो वंचित रहना ही पडा़। साथ ही इस राशि को जनकल्याणकारी योजनाओं मे भी खर्च नही किया जा सका। उपर वर्णित बकाया राशि में सरकारी तथा अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाया 3,92,590रू0 भी शामिल है (परिशिष्ट –VII) इन सरकारी भवनों पर भी काफी लंबे समय से करों की राशि बकाया थी,

120

बकाया राशि की वसूली के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि करों की इस बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

(12) <u>मिसिंग लाइसेस की मद मे बकायः रू0 13965</u>

नगर पंचायत चनपटिया कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑकडो के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक नगर पंचायत क्षेत्रातर्गत मिलिग लाइसेंस की मद में कुल 13965 रू0 बकाया थी, विवरण निम्नवत है

वर्ष	मिसिग लाईसेंस फी की बकाया राशि
2007-08	3150
2008-09	4865
2009-10	5950
	13965

उपरोक्त राशि दिनांक 31.3.10 तक विभिन्न धारकों के यहाँ बकया थी, अतः कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इसकी वसूली अतिशीध्र किया जाय। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट -VIII पर)

(13) शिक्षा अधिकार तथा स्वास्थ्य अधिकार की वसूल की गयी राशि का जमा नही किया जाना

बिहार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1959 (समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार) के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार नगर पंचायत द्धारा शिक्षा अधिकार की वसूली करने का प्रावधान है इसी प्रकार स्वास्थ्य अधिकार नियम 1972 के अनुसार स्वास्थ्य अधिकार वसूली करने का भी प्रावधान है उक्त अधिकार की वसूली किए जाने के बाद कुल राशि का 10% नगर पंचायत द्धारा अपने पास रखकर शेष राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना होता है

नगर पंचायत द्धारा उपलब्ध कराये गये आँकडों के अनुसार वितीय वर्ष 2007-08 से 2009.10 तक कुल 2,28,112रू0 की वसूली की गयी थी, विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	शिक्षा अधिकार	स्वास्थ्य अधिकार
2007-08	31976	31976
2008-09	59071	59071
2009-10	23009	23009
	114056	114056

कुल वसूली= 114056+114056=2,28,112

नगर पंचायत का 10% हिस्सा =22,811

(119)

जमा करने योग्य राशि= 205301

अतः 205301 रू0 की राशि शीध्र सरकार के संबधित शीर्ष में जमा कराकर अंकेक्षण विभाग को सूचित किया जाय।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट V एंव VI पर)

14. <u>स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल</u>

नगर पंचायत द्धारा दिए गए सूचना के अनुसार कार्यालय में स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की स्थिति निन्न प्रकार से थीः-

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/ कम
1.	रोकड़ पाल	1	–	–1
2.	कर दरोगा	1	–	–1
3.	तहसीलदार	2	1	–1
4.	अमीन	1	1	–
5.	सफाई जमादान	2	–	–2
6.	ट्रैक्टर ड्राइवर	1	1	–
7.	आदेशपाल	1	2	+1
8.	सफाई कर्मचारी	17	14	–3
	कुल	26	19	–7

स्वीकृत बल से सम्बन्धित सरकार का कोई पत्र अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया। उपर के सारणी के स्पष्ट है कि 26 स्वीकृत बल के विरूद्ध19 कार्यरत बल था। एवं अनेक महत्वपूर्ण पद यथा, रोकड़पाल कर दरोगा, तहसीलदार (1पद) एवं सफाई जमादार रिक्त था, इसके कारण अभिलेखो का संधारण संतोषजनक नही था, जैसा कि अन्य अंकेक्षण आपतियों में वर्णित है।

<u>आदेशपाल(1) की अनियमित सेवा</u>

उपर के सारणी से यह भी स्पष्ट था कि आदेशपाल के एक पद के विरूद्ध 2 आदेशपाल कार्यरत थे। स्पष्टतया आदेशपाल की सेवा स्वीकृत पद से अधिक एंव अनियमित थी, उपरोक्त परिस्थिति में श्री लालबाबू प्रसाद, आदेशपाल जो योगदान के हिसाब से पद में जूनियर थे, को वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक दिया गया कुल वेतन रू0 1,12,227, जिसका विवरण नीचे दिया गया था अनियमित थीः-

वर्ष	मूल वेतन	वर्ष में किया गया कुल वेतन
2007-08	904	39750
2008-09	904	35123
2009-10	904	37354
		1,12,227

116

रू0 1,12,227 को अनियमित भुगतान मानते हुए इसे संबंधित। जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल की जाय।

15. <u>अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों कों 2,22,256/- रू0 का अधिक भुगतान रकम वसूलनीय</u>

नगर पंचायत चनपटिया के रोकड़ बही अभिश्रवो एवं अन्य अभिलेखों की जॉच में पाय गया कि बहुत पहले से इस नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का कार्य कराने हेतु रखा गया है। चूँकि दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों अथवा मजदूरों को रखने पर सरकारी पावन्दी है अतः जरूरत कि अनुसार मजदूरों को अनुबन्ध पर रखने का विकल्प दिया गया है। इस नगर पंचायत में भी 12 सफाई कर्मियों का पहले से ही अनुबन्ध पर रखा गया है और उन्हें उपस्थिति के आधर पर दैनिक दर पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। दैनिक मजदूरी पर सफाई कमियों को रखना तथा अनुबन्ध पर रखना दोनों की प्रकृति और स्वरूप अलग है। दैनिक मजदूरी पर रखे गयें सफाई कर्मियों को दैनिक मजदूरी के दर पर देय रकम को भुगतान किया जाता है जबकि अनुबन्ध पर रखे गये कर्मियों को मासिक दर पर देय रकम तय की जाती है। इस कार्यालय द्धारा सफाई कर्मियों को अनुबंध पर रखने हेतु संचिका में प्रस्ताव दिया गया जिसे कार्य पालक पदाधिकारी नें अपनी टिप्पणी के साथ नगर पंचायत की अध्यक्षा के पास अनुमोदन हेतु भेज दिया नगर-पंचायम की अध्यक्षा नें संचिका के पृष्ठ। पर प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। यह अनुमोदन दिनांक 10.10.07 को किया गया जबकि अनुबन्ध पर कर्मचारियों को बहुज पहल ही से कम पर रख लिया गया था जिन्हें दैनिक दर

पर मजदूरी का भुगतान किया जाता रहा इस स्तर पर भी अनुबन्ध पर रखे गये सफाई कर्मियों को दी जाने वाली मासिक रकम तय नही की गई। नगर पंचायत चनपटिया की साधारण बैठैक दिनांक 13.9.07 को हुई जिसमें प्रस्तात संख्या 8 पृष्ट 150 के द्धारा अनुबंध पर रखे गये कर्मचारियों की धटनोतर स्वीकृत दी गई। इस प्रस्तावन में यह भी कहा गया कि इन्हें प्रतिमाह 1900/- रू0 मासिक की दर से भुगतान किया जा रहा है उसकी भी स्वीकृति दी जाती है। परन्तु अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि इन मजदुरी कों 1900/रू0 मासिक की दर से भुगतान न कर उपस्थिति के अनुसार दैनिक दर पर देय रकम का भुगतान किया जा रहा है। इन मजदूरों का दैनिक दर पर भुगतान न कर मासिक दर के अनुपात से भुगतान किया जाना चाहिए था। वर्ष 07-08 से वर्ष 09-10 तक भुगतान की विवरणी परिशिष्ट सं0- IX में संलग्न की जा रही है। विवरणी के अनुसार 2,22,256/ रू0 का अधिक भुगतान किया जा चूका है। अधिक भुगतान की रकम 2,22,256रू0 की की वसूली अधिक दर पर भुगतान करने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति / व्यक्तियों से करके नगर पंचायत के कोष में जमाकर कृपया इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को भी दी जाय ।

पुनः यह देखा गया कि इन कर्मचारियों की नियुति इस कार्यालय के पत्रांक 302 दिनांक 31.10.07 के द्धारा मात्र 11 महीनों के लिए की गई थी। इस नियुक्ति का समय विस्तार सक्षम पदाधिारी द्धारा किया गया है या नहीं कृपया अंकेक्षण को सूचित किया जाय। यदि नही किया गया है तो इसकी धटनोतर स्वीकृति भूटलक्षी प्रभाव सें प्राप्त कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(114)

16. 12 वाँ वित आयोग योजना

इस योजनांतर्गत वर्षवार नगर पंचायत का निम्न प्रकार से राशियाँ प्राप्त हुईः-

वर्ष	अनुदान (रू0 में)
2007-08	9,19,393
2008-09	459698
2009-10	25,12,588
कुल-	38,9,1,679

इस राशि से वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक जो योजनाएँ ली गई थी वो निम्नवत्र हैः-

क्र0 सं0	वर्ष	योजनाओं की सं0	प्राक्कलित राशि	भौतिक स्थिति	प्राक्कलित राशि	अबलक किया गया कुल व्यय (रू0में)
1.	2007-08	01	16,676	पूर्ण-01	16,676	16,676
2.	2008-09	09	8,52,622	पूर्ण -09	8,52,622	8,50,500
3.	2009-10	09	4,68,800	पूर्ण-09	4,68,800	4,58,832
		19	1338098	19	1338098	1326008

योजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट सं0-X, XI में दिया गया है, सरकारी दिशा- निर्देश के अनुसार इस योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन में से 50% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च किया जाना था, जिसमें ठोस अपशिष्टों का संग्रहण उनका परिवहन तथा उनका डिस्पोजन शामिल था। इसके अंतर्गत कूदेदानों की खरीद (ठोस अपशिष्टों के संग्रहण हेतु), ट्रेक्टर एवं ट्रेलर की खरीद (ठोस अपशिष्टों के परिवहन के लिए) तथा ट्रेंचो का निर्माण (ठोस अपशिष्टों के डिस्पोजल के लिए) शामिल थी, परंतु इस मद में नगर पंचायत द्धारा कोई खर्च नही किया गया। अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित योजनाओ को लेकर उनका यथाशीध्र कियान्वयन किया जाए। योजना की 1% राशि ई - गवर्नेस पर भी खर्च किया जाना था, परंतु तीन सालों में इसपर कोई खर्च नही किया गया। इस संबंध मे कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया,

इस दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए उचित योजनाओं को लेकर यथाशीध कियान्वयन किय जाए।

17. <u>चापाकल योजना</u>

इस योजना के लिए वर्ष 2007-08 में नगर पंचायत को रू0 9,52,800 प्राप्त हुए जिससे वर्ष 2008-09 में 15 वार्डो मे 2-2 चापाकल लगाकर कियान्वित किया गया जिसमे कुल रू0 9,27,134 खर्च किया गया। योजना का विस्तृत विववरण संलग्न परिशिष्ट सं0-X मे दिया गया है। योजना

की अवशेष राशि रू0 25,666 (952600-927134) को यथाशीघ्र सरकार को वापस किया जाए।

18. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना

इस योजनांतर्गत नगर पंचाचत का वर्ष 2009-10 में रू0 10,00,000 प्राप्त हुए जिससे रू0 26,00,000 प्राक्कलित राशि की एक योजना उसी वर्ष ली गई। अब तक योजना मे रू0 1294258 खर्च किया गया था एवं योजना अपूर्ण थी। योजना का बकाया अनुदान रू0 16,00,000 प्राप्त न होने के कारण अब तक योजना अपूर्ण थी।

योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट सं0-XI में दिया गया है। योजना का बकाया अनुदान रू0 16,00,000 सरकार से प्राप्त करने की दिशा में अत्यावश्यक कदम यथाशीघ्र उठाएँ जाएँ तथा योजना को यथाशीध्र पूरा किया जाए।

19. पथों का निर्माण/ जीर्णोद्धार योजना

इस योजना अंतर्गत नगर पंचायत को वर्ष 2008-09 में रू0 12,94,077 प्राप्त हुए। उक्त राशि से 2009-10 में कुल प्राक्कलित राशि रू0 1309200/- की 12 योजनाएँ की गई। इन योजनाओ का विवरण निचे दिया गया है:-

क्रम	वर्ष	योजनाओ की कुल	प्राक्कलित राशि	भौतिक स्थिती	प्राक्कलित राशि	अब तक किया गया

सं0		सं0				कुल व्यय
1.	2009-10	12	13,09,200	पूर्ण-10 अपूर्ण-02	11,13,000 1,96,200	9,98,869 23470
				12	1309200	10,22,339

उपर के सारणी से स्पष्ट है कि कुल 2 योजनाए, जिनकी प्राक्कलित राशि रू0 19,6,200 थी एवं जिनपर अबतक कुल रू0 23470 खर्च की गई थी, अपूर्ण थी।

योजनाओ का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट सं0 -XII में दिया गया है।

अपूर्ण योजनाओ को यथाशीध्र पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम अठाएँ जाएँ।

20. <u>पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि</u>

इस योजनांतर्गत नगर पंचायत को निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए:-

2008-09	रू0 13,29,000
2009-10	रू021,27,916
कुल रू0	रू0 34,56,916

उक्त राशि से वर्ष 2009-10 में कुल 4 योजनाएँ ली गई जिनकी प्राक्कलित रू0 23,79,200 थी, उनकी स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(110)

क्रमांक	वर्ष	योजनाओं की सं0	प्राक्कलित राशि	भौतिक स्थिति	प्राक्कलित राशि	अब तक किया गया कुल व्यय
1.	2009 -10	4	23,79,200	पूर्ण-1 अपूर्ण-3	1,75,400 22,03,800	1,57,191 12,53,113
				4	23,79,200	1,41,0304

अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में यथाशीध्र उचित कदम उठाए जाएँ। योजाओं का विस्तृत विवरण संलगन परिशिष्ट सं0 XIII में दिया गया है।

21 नागरिक सुविधा योजना

इस योजनातर्गत नगर पंचायत का वर्ष 2009-10 में रू0 20,35,380 प्राप्त हुए जिसमे उसी वर्ष में रू020,35,000 की एक योजना ली गई। जिसे 18,31,500 रू0 के खर्च से पूर्ण कर लिया गया। योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट सं0-XIII में दिया गया है। योजना मद की शेष राशि रू0 203500(203500-1831500) को सरकार से अनुमति प्राप्त कर दूसरी योजना पर व्यय किया जाए अथवा सरकार को वापस कर दिया जाए।

22 नाली निर्माण योजना

इस योजना के लिए नगर पंचायत को वर्ष 2008-09 में रू0 17,94,000 प्राप्त हुए। इस राशि से नगर पंचायत में रू0 18,41,000

प्राक्कलित राशि की कुल 13 योजनाएँ ली गई जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

क0 सं0	वर्ष	योजनाओं की कुल सं0	प्राक्तलित राशि	भौतिक स्थिति	प्राक्कलित राशि	अबतक किया कुल खर्च (राशि रू0में)
1.	2009–10	13	18,41,000	पूर्ण–11 अपूर्ण–2	1620600 2,20,400	13,65,369 44,715
				13	18,41,000	14,10,084

योजनावार विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट सं0 XIV में दिया गया है, उपर के सारणी से स्पष्ट है कि 2 योजनाएँ जिनकी प्राक्कलित राशि रू0 2,20,400 थी एवं जिनपर अबतक रू0 44715 खर्च किया जा चुका था, अपूर्ण थी, योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा मे यथाशीध्र आवश्यक कदम अठाएँ जाएँ।

23 <u>नगर पंचायत निधि योजना</u>

नगर पंचायत के अपने निधि से प्राक्कलित राशि रू0 2,06,000 की एक योजना ली गई तथा उसे रू0 1,84,811 के खर्च से पूरा कर लिया गया, योजना का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्अ सं0–XI में दिया गया है।

24. <u>निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर विलम्ब दंड की वसूली नहीं 77,865/–रू0 वसूलनीय</u>

(108)

नगर पंचायत चनपटिया में योजना से सम्बन्धित कार्य संचिका, विपमो मापी पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखो की जाँच में देखा गया कि प्रत्येक योजना को पूर्ण करने के लिए एक निर्धारित समय तय किया गया था जिसका उल्लेख कार्यादेश तथा एफ–2 प्रपत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था । इस निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करना था योजना के कार्यादेश की कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही होन पर विपत्र से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती थी प्रपत्र एफ 2 के अनुबंध की शर्तो की कंडिका 2 में भी स्पष्ट शर्त है कि कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं होने पर प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत दंड स्वरूप देया होगा। परन्तु यहाँ देखा गया कि किसी भी योजना में इस प्रावधान के आलोक में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी उदाहरण के लिए कुछ योजनाओ का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	योजना संख्या	अभिकर्ता/ संवेदक का नाम	प्राक्क0 राशि	कार्यादेश की तिथि	निर्धारित अवधि	कार्य समाप्ति की तिथि	दंड की रा शि
1.	17/09–10	श्री रामेश्वर सिंह	1,47000/–	19.10.09	1माह	अपूर्ण	14,700/-
2.	13/09–10	श्री रामेश्वर सिंह	77,850/–	19.10.09	1माह	अपूर्ण	7785/–
3.	30/09–10	श्री रामेश्वर	3,57,600/	19.10.09	1माह	4.3.10	35760/–

		सिंह	–				
4.	11/09–10	श्री रामेश्वर सिंह	91,000/–	19.10.09	1माह	अपूर्ण	9100/–
5.	12/09–10	श्री रामेश्वर सिंह	10,5,200/ –	19.10.09	1माह	प्रारंभ नही	10520/–
							77,865/-

निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर इन योजनाओ में संवेदक से दण्ड क्यों नहीं लिया गया संचिका में इसका कोई उल्लेख नही है। अवधि विस्तार भी इन योजनाओ में स्वीकृत नहीं था। जब विलम्ब के लिए दण्ड की वसूली नहीं करनी थी तो इस शर्त को कार्यादेश तथा प्रपत्र एफ 2 में रखने का क्या औचिव्य था उदाहरण में दिए गये मामले मे दण्ड की राशि 77865/– रू0 की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय। इस तरह के अन्य सभी मामलो की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

25.योजना संख्याः–16/05–06

योजना का नाम :– उर्दू प्राथमिक विद्यालय से श्याम मेडिकल एंव श्री एम. निवास रूँगटा के मकान से आर्य समाज मंदिर तक पथ में पी0सी0सी0कार्य,

मदः– प्रोत्साहन योजना

अभिकर्ताः– श्री रामचन्द्र प्रसाद

106

प्राक्कलित राशिः-4,87,400/-

कार्यादेश की तिथिः- ज्ञापांक 153 दिनांक 6-5-05

अन्तिम मापी की तिथीः- 12-7-06 कार्यमूल्य-4,87,259/-

प्रथम मापी की तिथिः- 15-6-05

कुल भुगतानः-4,87,259/-

2:-<u>9362/रू0 तथा 1705/- रू0 का संदेहास्पद कय एंव दुलाई</u>

अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि प्रभा इंट उधोग से दिनांक 1.7.06 को 5600 इंटो की खरीद की गई तथा 9362/- रू0 का भुगतान किया गया। इस इंट की दुलाई श्री वृजेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 20.8.5 को गाड़ी संख्या बी0 आर 04.5781 द्वारा किया गया। जब इंट 1.7.06 को कय किया गया तो इसकी दुलाई इंट कय से 10 महीने पहले कैसे किया गया। इसकी जाँच किसी अधिकारी सें कराकर परिणाम की जानकी कृपया अंकेक्षण को दी जाय, तब तक यह राशि रू0 11,070/- आपति के अधीन रहेगी।

26. <u>फर्जी उपस्थिति पर 2,37,271/ रू0 का भुगतान</u>

नगर पंचायत चनपटिया के अभिलेखों यथा रोकड़ बही तथा अभिश्रवों की जाँच में पाया जया कि दैनिक मजदूरों के भुगतान के लिए बनाई गई उपस्थिति पंजी तथा मजदूरों को किए गये भुगतान में तालमेल का अभाव है। कोई मजदूर 23 दिन काम पर दिखाया गया है परन्तु भुगतान 22 दिन का किया गया है 14 दिन जो मजदूर काम किया है उसे 11 दिन का भुगतान किया

गया है। उसी प्रकार कोई मजदूर 18 दिन का भुगतान लिया है परन्तु उपस्थिति 14 दिन ही है अधिक हाजिरी तथा कम भुगतान और कम हाजिरी अधिक भुगतान एवं31 नवम्बर को उपस्थिति और भुगतान से उपस्थिति का व्योरा तथा उससे सम्बन्धित भुगतान संदेह के धेरे में आ जाता हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ अभिश्रवों का विवरण निम्न प्रकार है :-

अभिश्रव संख्या 261/07-08-23,269/-रू0

उपस्थिति पंजी की क्रय संख्या	मजदूर का नाम	माह	उपास्थित दिन की संख्या	भुगतान दिन की संख्या	भुगतान दर प्रतिदिन
2.	श्री भूलन राउत	1/08	23	22	81/
3.	श्री राजन राउत	1/08	23	24	81/
4.	श्री किशोर राउत	1/08	15	16	81/
11.	श्री मनोज राउत	1/08	14	11	81/
12.	श्री संजय राउत	2/08	18	15	81/

अभिश्रव संख्या 101/08-25,241/रू0

उपस्थिति पंजी की क्रम संख्या	नाम	माह	उपस्थिति दिन की संख्या	भुगतान की दिन संख्या	भुगतान का दर प्रतिदिन
1	श्री कपिलदेव राउत	12/08	26½	27½	86/-
2	श्री भूलन राउत	12/08	24	25	86/-
3	श्री राजन राउत	12/08	24	25	86/-
8	श्री शंभू राउत	12/08	24	23½	86/-
9	श्री विजय राउत	12/08	24½	21½	86/-
10	श्री मनोज राउत	12/08	25	24	86/-

अभिश्रव संख्या 12/07-08-34,312रु/-

4.	श्री भूलन राम	1/07	25	23	72/-
6.	श्री संतोष राउत	2/07	23	22	72/-

9.	श्री राजू राउत	1/07	13	14	72/-
11.	श्री शंभू राउत	1/07	16	18	72/-

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि उपस्थिति पंजी वास्त विकता पर आधारित न होकर मनमाने ढंग से तैयार की गई थी अगर उपस्थिति पंजी वास्तविकता पर आधारित थी तो भुगतान मनमाने ढंग से तैयार किया गया था उपस्थिति पंजी वास्तविकता पर आधारित इस लिए नहीं थी जो मजदूर ज्यादे दिन उपस्थित रहा है वह कम मजदूरी ले ा को तैयार ही नही हो सकता किस आधार पर और किन कारणेां से अधिक उपस्थिति पर कम और कम उपस्थिति पर अधिक भुगतान किया गया जाँच का विषय है। वर्णित परिस्थिति मे यहाँ कहा जा सकता है कि भुगतान का उपस्थिति से कोई लेना देना नही था अतः इस पर किया गया व्यय संदेहास्पद हो जाता है। इसकी जाँच किसी सक्षम पदाधिकारी से कराकर परिणाम से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय। तब तक इन विपत्रों द्वारा भुगतान को गई कुल राशि रू0 2,37,271/ को अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है।

27. मदः- <u>नागरिक सुविधा</u>

योजन संख्याः 37/09-10

योजना का नामः वार्ड नः 2 में छठ धाट का निमार्ण

संवेदकः श्री रविन्द्र कुमार तिवारी

प्रावकलित राशिः 20,35,000/-(1831500/- 10% कम)

कार्यादेशः- ज्ञापांक 85 दिनांक 10-3-10

अन्तिम मापी की तिथी :-20.5.10

मापी के अनुसार कार्य मूल्यः-19,12,004/-

भुगतान की राशिः-19,12,004/-

<u>अंकेक्षण आपतियाँ</u>

102

1. <u>आक्कलन की मात्रा से 2,52,112/– रू0 का अधिक कार्यः– रकम वसूलनीय</u>

उपरोत योजना की कार्य संचिका मापी पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि यह कार्य श्री रविन्द्र कुमार तिवारी को प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। इस योजना की प्राक्कलित राशि 20,3,5000/– रू0 थी। कार्य से सम्बन्धित मापी पुस्तिका में देखा गया कि प्राक्कलन में दी गई कार्य की मात्रा और वास्तव में किए गये कार्य की मात्रा में कोई समानता नहीं है। निम्नलिखित आइटमों के कार्य में प्राक्कलन में दी गई मात्रा से काफी अधिक मात्रा में कार्य कराया गया था।

प्राक्कलन के अनुसार					वास्तव मे किया गया कार्य		
Item No.	Name of work	Quantiey	Rate	Amount	Quantity	Amount	Excess
7.	Providing Brick on edgc soling filled with local sand	6375 cft	1894.80Per of cft	1,20,798/-	11408.75cft	2,16,172/-	96,172/-
8.	Providing Pcc (1:2:4) over road soling	2102 cft	8372/-per of cft	1,75,912/-	3818 cft	3,19,666/-	1,43,754/-
							239926/-

प्राक्कलन में दी गई मात्रा में इतनी वृद्धि न्यायोजित नहीं जाना पड़ती है क्योंकि प्राक्कलन बनाने के पूर्व कार्यस्थल की जाँच की जाती है तथा आवश्यकता एवं स्थिति के अनुसार ही प्राक्कलन बनासा जाता है, फिर उसमें अप्रत्याशित वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्राक्कलन की आवश्यकत सत्यत एवं वास्तविकता के बाद ही तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। फिर प्राक्कलन में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा में कार्य कराने की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसे प्राक्कलन बनाने के पुर्व नहीं समक्षा गया प्राक्कलन में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा में कार्य कराना उचित नहीं जाना पड़ता है। अतः कार्य की मात्रा की मात्रा में की गई वृद्धि के कारण जो 2,52,112/– रू0 का अधिक भुगतान करना पड़ा उसकी वसूली इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति से

करके नगर पंचायत कोष में जमा कर कृपया अगले अंकेक्षण को सूचित किया जाय।

2. <u>सामग्री की मात्रा में वृद्धि के कारण दुलाई भाड़े में 1,53,634.29 का अधिक भुगतान</u>

प्राक्कलन में दी गई सामाग्री की मात्रा से अधिक सामाग्री का कय किया गया जिससे दुलाई भाड़े के रूप में अधिक भुगतान करना पड़ा। इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस आइटम मे लाभ की ज्यादा गुंजाइश थी उस आइटम के कार्य में वृद्धि कर दी गई ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके। कार्य की मात्रा और –और प्राक्कलन की मात्रा में कोई तालमेल ही नहीं है। जब प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराना था तो फिर प्राक्कलन बनाया ही क्यों गया इसे कृपया स्पष्ट किया जाय। सामग्रियों में हुई वृद्धि के कारण उसके भाड़े में निम्न वृद्धि हुईः–

कम सं0	सामाग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई भाड़ा दर	रकम	मात्रा	रकम	अभ्युक्ति
1.	सोन बालू	3169 ध0 फी0	4,844.63प्रति 100 ध0फी0	1,53,526/–	4,271.87ध0 फी0	2,06,954.29	–
2.	चीप्स	6337 ध0फी0	5,919.25 प्रति 100ध0 फी0	3,75,103/–	7,909.36ध0फी0	4,68,174.79	–
3.	सीमेन्ट	1426 बैग	7.70 प्रति वैग	10,990/–	1644वैग	12,658.80	–
4.	ईंट	53,597नं0	336.89 प्रति हजार	19,658/–	68,444 नं0	25,111.41	–
				5,59,267		7,12,901.29	

7,12,901.29(–)5,59,267=1,53,634=29

100

अधिक भुगतान की रकम 1,53,634=29 रू0 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय तथा नगर पंचायत कोष में जमा कर कृपया अंकेक्षण को सूचित किया जाय।

28. <u>योजना संख्या-33/06-07</u>

योजना का नामः- ततवा टोली से भीखर दास के धर से चनपटिया बॉध की ओर जानेवाली सड़क में इंट सेालिंग।

मदः- पथों का निर्माण एवं जिर्णेद्धार

अभिकर्ताः- श्री राम चन्द्र प्रसाद

प्राक्कलित राशिः-3,98,900/-

कार्य देश की तिथिः- ज्ञापांक 162 दिनांक 8.6.06

अन्तिम मापी की तिथीः-8.6.08 कार्यमूल्यः-3,98,238/-

कुल भुगतानः- 3,98,238/-

<u>अंकेक्षण आपतियॉ</u>

1(क) <u>मो01706/-रू0 का अधिक भुगतान- रकम वसूलनीय</u>

उपरोक्त योजना की कार्य संचिका, मापी पुस्तिका एवं अभिश्रवों की जॉच में पाया गया कि 1501 ध0 फी0 लोकल बालू श्री उमेश यादव द्धारा गिराया गया जिसके लिए 5874/-रू0 का भुगतान किया गया। वास्तव में भुगतान 4874/- रू0 का भुगतान होना चाहिए था जो निम्न प्रकार हैः-

कीमत- लोकल बालू 1501ध0 फी0 199/- रू0 प्रति सौ ध0फी0	2,966.99
भाड़ा- लोकल बालू 1501ध0फी0135/-रू0 प्रति सौ ध0 फी0	2,026.00
	5013.00
अस्वीकृत	139.00
	4874.00

(ख) मापी पुस्तिक के अनुसार 1501+522.5+465.5 ध0फी0 बालू का भाड़ा दिखाया गया है जब कि संचिका मे अभिश्रव केवल 1501+465.5 ध0फी0 का ही पाया गया जो अभिश्रव के अनुपलब्ध होने के कारण वसूलनीय है। अतः क+ख की अधिक रकम 1000+705.75(कंडिका 1(क) का अन्तर+522.5 ध0 फीट बालू की कमीत) अर्थात 1706/- रू0 की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय।

2. <u>कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण 15402/ - रू0 की क्षति</u>

उपर्युत योजन का कार्यादेश दिनांक 8.6.06 को निर्गत किया गया था जिसमें कार्य पूरा करने के लिए 30.6.06 तक की अवधि निर्धारित की गई थी। परन्तु कार्य निर्धारित अवधि में पूरा न होकर 8.6.08 को पूरा हुआ। योजना के लिए 1,52,175 इंटो का क्रय किया गया जिसमें 5100 इंटो की खरीद 2152/- रू0 प्रति हजार की दर से की गई जब कि शेष इंटो की खरीद 1850/-रू0 प्रति हजार की दर से की गई थी। क्रय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	फर्म का नाम	इंट की संख्या	तिथि	दर प्रति हजार	भुगतान की राशि	अभ्युति
1	अम्बे इंट उधोग बेलवा लौरिया	75050	5-1-07	1850/-	1,38,842/-	-
2	अम्बे इंट उधोग बेलवा लौरिया	26125	25-4-07	1850/-	48,331/-	-
3	अम्बे इंट उधोग होधोपाल	15000	26-5-08	2152/-	32,230/-	-

4	अम्बे इंट उधोग लाधोपाल	10000	2-5-08	2152/-	21,520/-	-
5	अम्बे इंट उधोग होधोपाल	20000	22-5-08	2152/-	43,060/-	-
6	अम्बे इंट उधोग होधोपाल	5000	23-5-08	2152/-	10,760/-	-
7	अम्बे इंट उधोग होधोपाल	1500	8-6-08	2152/-	3,228/-	-

यदि कार्य निर्धारित अवधि अर्थात्र 30-6-06 तक पूरा हो गया रहता तो 51000 इंटो की खरीद भी 1850/- रू0 प्रति हजार की दर से किया गया रहता। परन्तु कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण 51000 इंटो का क्रय बढ़े हुए दर पर करना पड़ा। जिससे नगर पंचायत का 15,402/- रू0 की क्षति उठानी पड़ी। इस अधिक भुगतान की रकम को जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर कृपया अंकेक्षण का सूचित किया जाय।

29. <u>मदः- पथों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार</u>

योजना संख्याः- 41/06-07

योजना का नामः- धीरेन्द्र प्रसाद के धर से मो0 शहीद के धर तक पी0सी0 सी0 कार्य।

अभिकर्ताः- श्री जहाँगीर अली अमीन

प्राक्कलित राशिः- 4,17,500/-

कार्यदेश की तिथिः- ज्ञापांक 59 दिनांक 12.3.07

अन्तिम मापी की तिथिः- 4.4.08 कार्यमूल्यः-4,16,895/-

कुल भुगतानः- 4,16,895/- भुगतान की तिथि :-20.8.09

अंकेक्षण आपतियाँ

1. **गलत मापी के आधार पर 29,593/-रू0 का भुगतान-रकम वसूलनीय**

उपरोक्त योजना की कार्य संचिका, मापी पुस्तिक एवं अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि मापी पुस्तिक के पृष्ठ 3 पर आइटम संख्या 2 तथा 3 में इंट का कार्य दिखाया गया है जिसके लिए क्रमशः 4889 तथा 22017/ रू0 का भुगतान किया गया है पुनः देखा गया कि आइटम संख्या 6 में 8788 इंटो की ढुलाई के लिए 2687/- रू0 की प्रविष्ट की गई है तदनुसार भुगतान भी किया गया है। ये प्रतिष्टियाँ प्रथम चालू विपत्र में दिखाई गई हैं। की खरीद निम्न प्रकार की गई हैः-

कैशमेमों संख्या	फर्म का नाम	तिथि	इंट की सं0	दर	भुगतान की रकम
85	मे0 सतकार इंट उधोग बइका गाँव, गोपालपुर(पश्चिम चम्पारण)	5-7-07	8788	2305/-रू0 प्रति हजार	16257.80
50	मे0 सतकार इंट उधोग	10.9.07	10350	1850/-रू0 प्रति हजार	19,912.00

	बड़का गाँव,गोपालपुर(पश्चिम चम्पारण)				

उपरोक्त खरीद से स्पष्ट है कि इंट का क्रय प्रथम मापी की तिथी 11.6.07 के बाद किया गया है। जब इंट का क्रय किया गया है तो स्पष्ट है कि इंट की दुलाई क्रय के बाद ही की गई होगी। अर्थात प्रथत मापी के पहले कार्य स्थल पर इंट नहीं था। जब कार्य स्थल पर इंट नही था जा फिर इंट का कार्य होना संभव नही था। परन्तु मापी पुस्तिका में इंट का कार्य और दुलाई इंट क्रय के पहले ही इसकी प्रविष्टि कर दी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल पर गये और बिना कार्य देखे ही कनीय अभियंता के द्धारा मापी पुस्तिका में प्रविष्ट कर दी गई है। जब प्रथम मापी के पहले कार्य स्थल पर इंट उपलब्ध नही था तो इंट का कार्य कैसे हो गया और जब कार्य सम्भव नहीं था तो उसकी मापी कैसे कर ली गई। इस तरह फर्जी मापी के आधार पर 29593/-रू0 का भुगतान कर दिया गया। इस गलत एवं फर्जी मापी के अधार पर किए गये भुगतान की रकम 29593/- रू की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा कर कृपया अंकेक्षण को सूचित किया जाय।